

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस
उनवान

नेमी चन्द पुत्र भौरीलाल जाति मीना निवासी गोपालपुरा तहसील टोडाभीम।

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रत्तीराम जाति मीना निवासी गोपालपुरा तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोडाभीम।
4. हरिमोहन पुत्र मानसिंह
5. श्रीमति सरवती देवी पत्नि सियाराम।
6. श्रीमति रेखा देवी पत्नि हरिसिंह।

समस्त जातियान मीना निवासीयान गोपालपुरा तहसील टोडाभीम।

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 21/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट व मदन मोहन शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम झुनकी की आराजीयात मे निम्न प्रकार डिक्री दी जाती है:-

ब्र0स	खाता न0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	57	नेमीचन्द पुत्र भौरीलाल जाति मीना सा.देह गोपालपुरा खातेदार	239/861 240 242 243 238/862/1 241/1	0.12 है0 0.69 है0 0.39 है0 2.45 है0 0.01 है0 0.465 है0
			कुल किता 6	4.125 है0
2	57	रेखा पत्नि हरिसिंह हिस्सा 1/3, सरवती पत्नि सियाराम हिस्सा 1/3, हरिमोहन पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.देह. गोपालपुरा खातेदार	150 233 236/863 235 238/862/2 241/2	0.10 है0 0.10 है0 0.06 है0 1.90 है0 0.11 है0 1.855 है0
			कुल किता 6	4.125



उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस को प्रति-निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगीअदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.11.2024 को जारी की गई।

(पूजा मीना)

